

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

Filing. BA/645/2017

CNR.MP30050007982017

Case- BA/126/2017

①

मोहम्मद अजहर
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

BA 126 of 2017

Date of
order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

6-4-2017

आवेदक/आरोपी सरनाम सिंह की ओर से
सी.अशोक सिंह राणा एड० अधिवक्ता ने एक
जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-438/439 जा0फौ0 का
पेश किया ।

नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केस
डायरी मय प्रतिवेदन बुलाये जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया
जावे ।

सी.आई.एस. में विधिवत दर्ज हो ।

आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे ।

प्रकरण केस डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क
हेतु दिनांक-10/04/2017 को पेश हो ।

(मोहम्मद अजहर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

10/04/2017

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अति0लोक
अभियोजक उप0 ।

3:15

To

पुलिस थाना मौ के अपराध क0 29/17 अंतर्गत
धारा 336, 394, 506, 34 भादस एवं धारा 25, 27, 29, 30
आयुध अधिनियम की कैफियत व केसडायरी प्राप्त ।

3:30 P.m

जमानत आवेदन के साथ आवेदक सरनाम सिंह द्वारा
स्वयं अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं
आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि 438 द.प्र.सं. के
तहत उसका यह प्रथम जमानत आवेदन है। इस जमानत

मोहम्मद अजहर

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)

आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या समकक्ष न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न निरस्त किया है। ऐसा ही केस डायरी का अध्ययन करने से भी स्पष्ट है।

आवेदक सरनाम सिंह के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. के संबंध में उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक शिक्षक पद से रिटायर्ड होकर वर्तमान में खेती का कार्य करता है तथा ग्वालियर जिले में शिक्षक वर्ग में काफी मान प्रतिष्ठा है तथा समाज में भी प्रतिष्ठा है, वह संभ्रात परिवार का होकर प्रतिष्ठित पहचान वाला व्यक्ति है, उसके विरुद्ध विरोधियों के असत्य षडयंत्र के आधार पर आयुध अधिनियम के झूठे अपराध की कायमी कर ली गयी है, जिसमें पुलिस उसे जेल भेजना चाहती है, उसकी बंदूक से कोई अपराध नहीं हुआ है, घटना दि० को आवेदक अपनी खेती के बोर पर रहकर फसल की सुरक्षा कर रहा था, उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है, पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की आशंका है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्ष को सुने जाने तथा केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दि०-08/02/2017 को रात्रि लगभग 11 बजे फरियादी ओमप्रकाश सिंह पवैया ग्राम गुहीसर में छोटे सिंह कुशवाह के कुएं के पास अपने खेतों पर गाय भगाने गया था। वहां पर सहअभियुक्तगण सोनू सिंह उर्फ बुद्धसिंह जाट, राजेन्द्र जाट, जयवीरसिंह जाट एवं बंटी उर्फ धर्मवीर जाट आये, जिनसे फरियादी ने कहा कि गाय उसके खेतों की तरफ क्यों ला रहे हो, जिसपर से चारों ने उसे मां बहिन की अश्लील गालियां दीं। मना करने पर बंटी ने 315 बोर की राइफल से गुस्से में फरियादी पर अंधाधुंध फायर किए, जिससे फरियादी व उसके साथी खेत की मेड़ के नीचे छिप गये, वे चारों लोग गायों को फरियादी के खेत की तरफ छोड़कर कह रहे थे कि गायों को उनके खेत की तरफ किया तो जान से मार देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना मौ में

मोहम्मद अजहर
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

Order Sheet [Contd]

Case No. BA. 126 of 2012...

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>की गयी, जिस पर से अपराध क्रमांक 29/2017 अंतर्गत धारा 336, 394, 506, 34 भादस एवं धारा 25, 27, 29, 30 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>इस मामले में अभियोजन के अनुसार आवेदक सरनाम सिंह की लाइसेंसी 315 बोर की राइफल से उसके पुत्र सहअभियुक्त बंटी उर्फ धर्मवीरसिंह के द्वारा फरियादी पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी, ऐसी स्थिति में अपराध में आवेदक की राइफल की संलिप्तता को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति के साथ पुलिस थाना मौ की ओर केस डायरी वापस भेजी जावे।</p> <p>परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावे।</p> <p style="text-align: right;">10.04.17 (मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	<p style="text-align: center;">Aslam</p>